न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 69 / 2020 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2020 / 00128

उनवान

1. हिण्डौन कय विकय सहकारी समिति लिमिटेड, हिण्डौन सिटी जरिये प्रधान व्यवस्थापक रेवतीलाल मीना पुत्र श्री रामकिशोर जाति मीना निवासी महस्वा, तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

....अपीलांट।

बनाम

1. समविलास गुप्ता पुत्र श्री सुआलाल, जाति महाजन, निवासी कंजोली, तहसील टोडाभीम
2. धूली लाल पुत्र गोपीलाल जाति मीना निवासी सूरवाल तहसील सवाई माधोपुर।
3. मूलचंद पुत्र श्री किशनलाल जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी मोहन नगर, हिण्डौन सिटी जिला करौली।
4. निरंजन देव पुत्र श्री किशन लाल जाति जांगिड निवासी मोहन नगर, हिण्डौन सिटी, जिला करौली।
5. राधेश्याम पुत्र मांगी, जाति गुर्जर निवासी कसाने का नंगला, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली।
6. श्रीमती अंगूरी देवी पत्नि श्री रमेश चंद गुप्ता जाति महाजन निवासी भोपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।
7. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 ।

....रेसपोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री हरिवल्लभ चतुर्वेदी अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री रमेश चंद गुप्ता अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01।
3. श्री कमेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02।
4. श्री राधा मोहन गोस्वामी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 05 व 06।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

—:: निर्णय ::—

दिनांक: 27.06.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड हिण्डौन सिटी जिला करौली में दायर राजस्व वाद संख्या 206/2014 बउनवान रामविलास बनाम हिण्डौन कय विकय सहकारी समिति वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 07.02.2017 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दावा बाबत् डिक्लेरेशन हुक्म इम्तनाईदवामी एवं डिवीजन ऑफ हॉल्डिंग खिलाफ प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र मे दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नंबर 1953 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसकी खातेदारी कय विकय सहकारी समिति हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 02 की तनख्वाह प्रतिवादी नंबर 01 पर बकाया हो जाने की एवज मे जरिये न्यायालय सहायक श्रम आयुक्त सवाई माधोपुर मुकदमा नंबर 17/90 मे पारित आदेश की पालना मे खसरा नंबर 1953 मे से रकबा 0.06 ऐयर भूमि प्रतिवादी संख्या 02 के नाम बेचान कर फुल एण्ड कम्पलीट सेटिफेक्शन कर दिया। प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा वादी को उक्त 0.06 ऐयर भूमि बेचान करने के पश्चात् से दिनांक 26.08.1998 से आज तक यह भूखण्ड 0.06 ऐयर वादी के कब्जे की भूमि है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से दिनांक 24.12.2016 को निवेदन किया कि खसरा नंबर 1953 रकबा 0.52 है0 मे से विकीत भूमि 0.06 एयर भूमि का नामान्तकरण वादी के हक मे तथा रास्ते के लिये छोडी भूमि 0.03 ऐयर को गैरमुमकिन रास्ता का नामान्तकरण मे विधिवत करा दो। प्रतिवादी नंबर 01 ने यह करने से मना करा दिया। अतः मातहत अदालत से अनुतोष चाहा गया कि खसरा नंबर 1953 रकबा 0.52 है0 मे से 06 एयर भूमि वादी के हक में 03 एयर भूमि रास्ते को मौकेपर विधिवत तकासमा किया जाकर बंटवारा स्कीम तैयार की जाकर वाद प्राप्त होने कमीश्नर रिपोर्ट अंतिम डिकी किया जाकर वादी को 06 एयर जमीन का काश्तकारी घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। अदालत मातहत मे प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश किया।

अदालत मातहत ने दिनांक 07.02.2017 को निर्णय व प्राथमिक डिकी पारित करते हुए आदेश किया कि " विवादित आराजीयात खसरा नंबर 1953 रकबा 0.52 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में से 0.06 भूमि का रामविलास पुत्र सुआलाल वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। भूखण्ड के पश्चिम में स्थित रास्ता चौडाई 30 फीट सामलाती रहेगा। राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जावें। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि उक्त भूखण्ड एवं रास्ता के उपयोग मे वादी से मजाहमत मदाखलत नहीं करें।" उक्त आदेश व्यथित होकर ये अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की जा रही है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत मे प्रस्तुत वाद पत्र मे हिण्डौन कय विकय सहकारी समिति के कार्यरत व्यवस्थापक को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया, वरन् 8 वर्ष पूर्व रिटायर्ड हो चुके सहायक व्यवस्थापक को हिण्डौन कय विकय सहकारी समिति का तत्कालीन व्यवस्थापक बताते हुए श्री पूरन सिंह गुर्जर के जरिये पक्षकार बनाया गया, जो गैरकानूनी है, जबकि पदासीन व्यवस्थापक श्री कैलाश चंद मीना को उक्त दावे की कोई जानकीर नही थी। एक अन्य वाद के संबंध मे जब उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मे उपस्थित होने पर इस मामले की जानकारी हुई तब अविलम्ब प्रधान व्यवस्थापक श्री कैलाश चन्द मीना ने अपने अधिवक्ता के जरिये एक प्रार्थना पत्र तहत आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 जरिये अधिवक्ता मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश किया। दावा अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर पेश किया गया हैं, कानूनन इकरारनामे के आधार पर पेश किया गया है, कानूनन इकरारनामे के आधार पर वादी के पक्ष मे कोई हक हकूक उत्पन्न नही होते है। वादी ने अपने दावे के समर्थन मे कोई पंजीकृत विकयपत्र पेश नही किया है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा उक्त कानूनी बिंदुओं पर बिना गौर किए हीं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यह निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 07.02.2017 को अपास्त किया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने दिनांक 21.12.2020 को उक्त प्राथमिक डिकी व निर्णय व नकल का आवेदन पेश किया है जिस पर दिनांक 22.12. 2020 को प्राथमिक डिकी व निर्णय की नकल प्राप्त हुई। अब से पूर्व हुई देरी जानकारी के अभाव में नोटिस प्राप्त न होने के कारण हुई है, दावा हाजा में हिण्डौन कय विकय सहाकारी समिति को गलत प्रतिनिधि के द्वारा पक्षकार बनाया गया है। हिण्डौन कय विकय सहकारी समिति का प्रार्थना पत्र आदेश 01 आदेश 10 सी0पी0सी0 वर्तमान मे भी विचाराधीन ही चल रहा है, परन्तु उक्त आवेदन पत्र को नजर अंदाज कर विद्वान अदालत मातहत फाइनल डिकी जारी करने की फिराक में है, इसलिए

स्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दावा बाबत् डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी एवं
डिवीजन ऑफ होल्डिंग, मु.नं. 206/2016

Scanned with CamScanner

अपील अविलम्ब पेश की गई है अपील पेश करने मे हुई देरी को कण्डोन फरमाते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

6. उभयपक्ष अधिवक्ता बहस हेतु उपस्थित । अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जावें। तत्पश्चात् मुख्य बहस की जावेगी। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा अनेक दृष्टांतो मे यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि मियाद प्रार्थना पत्र को मुख्य निर्णय से पूर्व निर्णित किया जाना चाहिए। अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई बहस धारा 05 मियाद अधिनियम सुनी गई।

7. धारा 05 मियाद अधिनियम की बहस पर अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत मे प्राथमिक डिक्री 07.02.2017 जारी की गई थी। अपीलांट ने आदेश नकल 21.12.2020 को प्रस्तुत किया गया तथा 22.12.20 को नकल प्राप्त हुई। आगे कथन किया कि जानकारी न होने के कारण नोटिस प्राप्त नही होना बताया तथा हिण्डौन कय विकय सहाकारी समिति के प्रतिनिधि को गलत पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 अभी लंबित है। रेस्पोडेन्टगण अन्तिम डिक्री जारी कराने की फिराक मे है। अत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

8. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपील लगभग 3 वर्ष 10 माह पश्चात् पेश की गई है। जब अपीलांटगण द्वारा मातहत अदालत मे प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 पेश किया हुआ है, इसका अर्थ है कि अपीलांटगण को वाद के बारे मे जानकारी रही है। उसके पश्चात् यह कथन की 3 वर्ष 10 माह तक हमे निर्णय जानकारी नही हो सकी पूर्णतया असत्य है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम मियाद बाहर होने से खारिज फरमाया जावें।

9. बहस पर मनन किया गया। रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि यह अपील अदालत मातहत के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2017 न्यायालय हाजा मे दिनांक 22.12.20 को पेश किया गया है। अपील लगभग 3 वर्ष 10 माह विलम्ब से पेश की गई है।

अदालत मातहत की आदेशिका मे प्रार्थना पत्र ऑर्डर 01 नियम 10 पेश करने का अंकन कही भी नही है। परन्तु पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर आया कि प्रार्थी कैलाश चंद मीना प्रधान व्यवस्थापक के द्वारा दिनांक 23.10.19 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 का संलग्न है जो पीठासीन अधिकारी से उसी दिवस मे "मार्क" है। प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 दिनांक 23.10.19 को भी आधार माना जावे तो भी अपील लगभग 400 दिवस के विलम्ब से पेश की गई है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम मे यह कारण ही अंकित नही

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दावा बाबत् डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी एवं
डिवीजन ऑफ होल्डिंग, मु.नं. 206/2016

Scanned with CamScanner

किया गया है कि अपील **दिनांक 23.10.19 से 21.12.20 के मध्य की देरी** से क्यों पेश की गई। यह कि निर्णय की नकल आदेश 21.12.2020 को प्राप्त हुई। विलम्ब का पर्याप्त कारण स्पष्ट नही किया गया। जब वर्तमान मैनेजर हिण्डौन क्रय विक्रय समिति द्वारा दिनांक 23.10.19 को 01 नियम 10 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया तो क्यों नही नकल का आदेश उसी दिन लेकर, अपील तत्समय पेश की गई? अदालत मातहत की आदेशिका 07.02.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित रहे है। साथ ही प्रार्थना पत्र दिनांक 23.10.2019 आदेश 01 नियम 10 पेश करने के पश्चात् अदालत मातहत की आदेशिका अनुसार दिनांक 24.10.19 से "वकुलाय फरीकेन" की उपस्थिति दर्ज है। अभिभाषक की जानकारी पक्षकार की जानकारी मानी जाती है। जब निर्णय व डिक्री की जानकारी अधिवक्ता प्रतिवादीगण को थी तो यह नही कहा जा सकता कि अपीलांट को निर्णय व डिक्री की जानकारी नही थी। अभिभाषक अपीलांट का यह तर्क मानने योग्य नही है कि मियाद बिंदु का निर्णित करते समय प्रकरण के गुणावगुण पर भी विचार किया जाना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डी.एन.जे. 2009 पेज 546 (एस.सी.) में यह निर्णित कर दिया है कि मियाद बिंदु को निर्णित करते समय प्रकरण के गुणावगुण को मध्यनजर नही रखना चाहिए।

यह तथ्य सही है कि मियाद बिंदु को निर्णित करते समय लचीला रूख अपनाया जाना चाहिए परन्तु लचीले रूख का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी निर्णय व डिक्री के विरूद्व 400 दिवस के पश्चात् अपील प्रस्तुत की जावे तथा लचीला रूख अपनाने का निवेदन किया जावें। उक्त मत का विवेचन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित दृष्टांत **2010(2) आर.आर.टी. पेज 801,** के निम्नानुसार किया गया है– "परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5–विलम्ब का शमन–पर्याप्त कारण–अपील पेश करने में तीन दिन का विलम्ब–विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किया–निर्णित, आवेदन व अपील खारिज की।"

10. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के सही निर्णय पर पहुंचने के उद्देश्य से हम इस विवाद के संबंध मे स्थापित कानूनी दृष्टिकोण का उल्लेख करना उचित समझते है जो निम्न प्रकार है:–
AIR 2010 SC 3043- "(A) Civil P.C. (5 of 1908), O. 22, R. 9- Limitation Act (36 of 1963), S. 5- Application for setting aside abatement - Delay- Condonation - Conduct of applicant Ground raised that applicants were staying away from their father (deceased) - Had no knowledge of pending appeal - Acquired knowledge only when counsel informed them about hearing of appeal- Ground that applicants were staying away contrary to one taken in application for bringing

राजस्व अपील सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

LRS on record- Assertion that applicants had no knowledge-Unbelievable as on applicant was examined in trial - Application in fact made much after applicants were informed by counsel - Delay of over two years not liable to be condoned." "(b) Limitation Act (36 of 1963), S. 5- Civil P.C. (5 of 1908), O. 22, R. 9- Condonation of delay - Sufficient cause - "Liberal approach" - Does not mean doing injustice to opposite party - Application to set aside abatement - Made belatedly Ground raised for condonation not sufficient and also unbelievable - Delay cannot be condoned - Provisions of O. 22 R. 9 cannot be so construed so as to make it redundant."

AIR 1998 (SC) 2276- "(A) Civil P.C. (5), S. 96- Appeal- Delay - Condonation - Delay condoned without recording satisfaction of reasonable or satisfactory explanation for inordinate delay - No such explanation offered by State - Condonation of delay not proper and judicious - Order cannot be sustained." "(C) Limitation Act (36 of 1963), S. 5- Delay - Condonation-Law of limitation has to be applied with all its rigour prescribed by statute - Courts have no power to extend period of limitation on equitable grounds."

2001 J.T. (5) S.C. page 608- " In excersing discretion under Section 5 of the Limitation Act , the court should adopt a pragmatic approach. A distinction must be made between a case where the delay is inordinate and a case where the delay is of a few days. Whereas in the former case the consideration of prejudice to the other side will be a relevant factor so the case calls for a more cautious approach.."

11. हमारे ज्ञाननुसार धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना को स्वीकार करने अथवा, अस्वीकार करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं सभी माननीय उच्च न्यायालयों का जो मत एवं अधीनस्थ न्यायालययों के लिये मार्गदर्शन है। उनका यही सार है कि लम्बी से लम्बी की देरी को तभी क्षमा किया जा सकता है जबकि देरी करने वाला पक्षकार देरी के संतोषजनक कारणों व परिस्थितियों से न्यायालय को संतुष्ट कर देवे। यदि वह संतुष्ट नहीं कर सकता है अथवा उनके प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण संतोषजनक, पर्याप्त या विश्वसनीय नहीं है तो छोटी से छोटी देरी को भी क्षमा नहीं किया जा सकता है। परन्तु अपीलांट द्वारा जानकारी के 400 दिवस बाद ही अपील देरी का एक भी कारण धारा 05 मियाद अधिनियम मे अंकित ही नही किया है, जिस पर विचार किया जावें। **इस सिद्वान्त को राज्य सरकार अथवा निजी पक्षकार दोनों पर समान रूप से लागू होना माना गया है।** उपरोक्त उल्लेखित नजीरों में प्रतिपादित सिद्वान्तों से बाध्य होते हुए अब हम वर्तमान अपील को अपीलांटस् की

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

ओर से दायर करने में की गई 400 दिवंस से अधिक समय की देरी को क्षमा योग्य नही है।

12. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन एवं कानूनी सिद्धान्तों का सम्मान करते हुए हम इसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि दिनांक 23.10.19 से 21.12.20 तक का देरी का कारण मियाद प्रार्थना पत्र मे अंकित नही किए जाने से अपील नितान्त रूप से समयवर्जित पायी गयी है। ऐसी स्थिति में इस अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार का विश्लेषण करने की आवश्यकता नही रहती है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय ने कई विनिर्णयों में इस आशय का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जब अपील को मियाद बाहर होना मान लिया जाए तब उसके गुणावगुण पर विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है।

13. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर हम अपील को नितान्त रूप से समयवर्जित होने के कारण इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य समझते हैं। अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 खारिज किया जाता है। जब मियाद बिंदु प्रार्थना पत्र ही खारिज किया जा चुका है तो अपीलांट अपील स्वतः ही खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

14. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 27.06.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner